भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4620

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कौशाम्बी में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना

†4620. श्री पुष्पेंद्र सरोजः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण जिलों की तरह कौशाम्बी जिले में भी स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना विकास के लिए बजट में वृद्धि के बावजूद विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित पूर्णतः सुविधायुक्त सरकारी अस्पतालों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में विशेषकर कौशाम्बी जैसे पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना में सुधार के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) विकसित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): 31 मार्च, 2023 तक की एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 25,723 उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), 3,055 ग्रामीण और 598 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 939 ग्रामीण और 11 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 125 जिला अस्पताल (डीएच) और 46 मेडिकल कॉलेज हैं।

31 मार्च 2023 तक की एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार, कौशाम्बी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 234 उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 1 जिला अस्पताल (डीएच) हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य में 4750 विशेषज्ञों की जरूरत के सापेक्ष सीएचसी में 1172 विशेषज्ञ तैनात हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल स्तर पर 2946 डॉक्टर और विशेषज्ञ तैनात हैं।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए बुनियादी ढांचे का विकास, साथ ही जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में एचआरएच का प्रबंधन और तैनाती राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालाँकि, जैसा कि उत्तर प्रदेश

सरकार द्वारा सूचित किया गया है, कौशाम्बी जिले में स्वास्थ्य परिचर्या के बुनियादी ढांचे के विकास में एमबीबीएस डॉक्टरों की उपलब्धता, सभी आवश्यक उपकरण और यूपीएमएससीएल द्वारा आपूर्ति की गई आपातकालीन दवाओं सहित सभी आवश्यक दवाओं से सुसज्जित सरकारी अस्पताल हैं। कौशाम्बी जिले में 45 विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 29 विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं।

(ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने समग्र संसाधन दायरे में प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जिला अस्पतालों के स्तर तक अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लचीले पूल के अंतर्गत एकमुश्त आधार पर धनराशि जारी की जाती है, ताकि राज्यों को अपनी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के अनुसार धनराशि का उपयोग करने के लिए अधिक छूट प्रदान किया जा सके।

(घ): भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (2022) के अनुसार, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर सीएचसी और पीएचसी के लिए जनसंख्या मानदंड अलग-अलग होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी के लिए, मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 लोगों पर एक सुविधा केंद्र और पहाड़ी, आदिवासी या दुर्गम क्षेत्रों में 80,000 लोगों पर एक सुविधा केंद्र की अनुशंसा की गई है। इसी तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी की योजना मैदानी क्षेत्रों में 30,000 लोगों पर एक पीएचसी और पहाड़ी या दुर्गम इलाकों में 20,000 लोगों पर एक पीएचसी के अनुपात में बनाई गई है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए सीएचसी और पीएचसी की योजना और कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार मानदंडों और अपनी ज़रूरत के अनुसार नए सीएचसी और पीएचसी का प्रस्ताव कर सकती है। भारत सरकार जांच के बाद एनएचएम (पीआईपी), पीएम-एबीएचआईएम, 15वें वित्त आयोग के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव के अनुसार मंजूरी दे सकती है।

******